भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

**लोक सभा**

लिखित प्रश्न सं. 3735

सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**भारत में यात्रा की सुगमता**

**3735. श्री राहुल सिंह लोधीः**

**श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए यात्रा की सुगमता में सुधार हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं, नीतियों, पहलों और सुधारों की सूची का ब्यौरा क्या है;

(ख) यात्रा संबंधी बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म, एकीकृत सेवाओं और वास्तविक समय की सूचना प्रणालियों सहित प्रौद्योगिकी-सक्षम यात्रा सुविधा को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में यात्रा को सुगम बनाने के लिए ऐसी योजनाओं, नीतियों, पहलों और सुधारों के लिए आवंटित निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यात्रा की सुगमता, पर्यटकों के आगमन (फुटफॉल), आगंतुक अनुभव, संतुष्टि और समग्र क्षेत्रीय विकास पर इन उपायों के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ङ): पर्यटन गंतव्य का विकास करने के लिए प्रभावी और पर्याप्त संपर्क मार्ग एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यटन मंत्रालय महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और अधिक संभावना वाले अल्पज्ञात/नए गंतव्यों के लिए हवाई संपर्क में सुधार हेतु नागर विमानन मंत्रालय के साथ नजदीकी तालमेल के साथ काम कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय के साथ उनकी क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस-उड़ान) के तहत समन्वय किया है एवं इस

उद्देश्य के लिए चिह्नित किए गए **53** पर्यटन मार्गों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) की राशि को साझा किया है।

भारत में विदेशी पर्यटकों, पेशेवरों और कुशल कार्यबल, व्यवसायियों, छात्रों आदि सहित विदेशियों के वैध आवागमन को सक्षम करने के लिए एक मजबूत ई-वीजा व्यवस्था मौजूद है। भारत सरकार ने वैध विदेशी यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकीय अवसंरचना को बढ़ाने के साथ-साथ वीजा व्यवस्था को उदार, कारगर और सरल बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई पहलें की हैं। भारतीय वीज़ा व्यवस्था, विशेष रूप से पर्यटक वीज़ा व्यवस्था को उदार और सरल बनाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम ई-वीज़ा सुविधा की शुरुआत है। ई-वीजा की प्रोसेसिंग पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। कोई विदेशी नागरिक कहीं से भी ई-वीजा के लिए आवेदन कर सकता है। ई-वीजा की शुरुआत ने पर्यटन, व्यापार और चिकित्सा जैसे वैध उद्देश्यों के लिए विदेशियों को भारत में बाधा-रहित प्रवेश प्रदान करने में मदद की है।

पर्यटन मंत्रालय ने अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर सेवा प्रदायगी को ध्यान में रखते हुए, आवास इकाइयों के वर्गीकरण और पर्यटन सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति, प्रोसेसिंग और अनुमोदन प्रदान करने संबंधी एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। इसके लिए राष्ट्रीय आतिथ्य उद्योग एकीकृत डेटाबेस (निधि+) पोर्टल अर्थात **nidhi.tourism.gov.in** पर आवेदन किए जा सकते हैं। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को पेमेंट गेटवे के साथ भी जोड़ा गया है।

पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित और हिफाजत युक्त बनाने के लिए मंत्रालय के निरंतर प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए टोल फ्री नंबर 1800111363 या संक्षिप्त कोड 1363 पर 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित 12 भाषाओं में 24**x**7 बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन स्थापित की है, ताकि भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के संदर्भ में सहायता सेवा प्रदान की जा सके और भारत के भीतर यात्रा करते समय संकट में फंसे पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन दिया जा सके।

मंत्रालय ने यात्रा सुगमता, पर्यटकों की संख्या, आगंतुक अनुभव, संतुष्टि और समग्र क्षेत्रीय विकास के विषयों पर इन उपायों के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण नहीं किया है।

*******